

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन भोपाल

क्रमांक/2/अवि./सेल-5/2018/
प्रति,

भोपाल, दिनांक /08/2018

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला - जबलपुर,
मध्यप्रदेश।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण - कु.दीपिका ठाकुर पिता स्व.श्री राम सिंह ठाकुर सामु.स्वास्थ्य केन्द्र
नटवारा(शाहपुर) जिला, जबलपुर, म.प्र.।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/स्था.अवि./2018/4927 दिनांक 30.06.2018।

-0-

विषयांकित संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा कु.दीपिका ठाकुर पिता स्व.श्री राम सिंह ठाकुर
सामु.स्वास्थ्य केन्द्र नटवारा(शाहपुर) जिला, जबलपुर, म.प्र. का अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन, ड्रेसर की पद पर
नियुक्ति प्रदान करने की सहमति सहित संचालनालय की ओर भेजा गया।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/सी/3-4/1/3/06 भोपाल,
दिनांक 18 अगस्त 2008 की कंडिका 5.3 एवं म.प्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र.
सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 की कंडिका 5.1 एवं 12.1 में प्रावधान है कि, "यदि किसी पद के
लिये अनुभव/प्रशिक्षण/निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता हो तो संबंधित आवेदक से सहमति प्राप्त
कर उन्हें स्वयं के व्यय पर प्रशिक्षण दिया जावे एवं सफलता पूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने पर उन्हें अनुकम्पा
नियुक्ति दी जावेगी।"

अतः आप कु.दीपिका ठाकुर को निर्धारित तीन माह का प्रशिक्षण जिला चिकित्सालय जबलपुर में
दिये जाने की नियमानुसार कार्यवाही 03 दिवस में की जाकर संचालनालय को ई-मेल
(nongazatted.mp@mp.gov.in) के माध्यम से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। आवेदक द्वारा तीन माह
का प्रशिक्षण प्राप्त करने पर नियमानुसार ड्रेसर ग्रेड-2 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जावे। **उल्लेखित
प्रकरण के अतिरिक्त किसी भी प्रकरण में किसी भी व्यक्ति को ड्रेसर का प्रशिक्षण संचालनालय की अनुमति के
बगैर नहीं दिया जावे।**

संचालक प्रशासन द्वारा अनुमोदित"

संलग्न :- मूल सह पत्र पृ.क्र. 1 से 27

संयुक्त संचालक (अविज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 20/08/2018

पृ. क्रमांक/2/अवि./सेल-5/2018/837-0

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. कलेक्टर जिला जबलपुर मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर, संभाग जबलपुर, मध्यप्रदेश।
3. सिविल सर्जन संह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय जबलपुर, म.प्र. की ओर प्रेषित कर
निर्देशित किया जाता है कि कु. दीपिका ठाकुर को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु ड्रेसर का
तीन माह का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कर प्रशिक्षण उपरान्त प्रमाण-पत्र जारी किया जावे।
**उल्लेखित प्रकरण के अतिरिक्त किसी भी प्रकरण में किसी भी व्यक्ति को ड्रेसर का प्रशिक्षण
संचालनालय की अनुमति के बगैर नहीं दिया जावे।**
4. प्रभारी एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय।
5. कु.दीपिका ठाकुर पिता स्व.श्री राम सिंह ठाकुर पता - बेलखेडा राजमार्ग न.12, तहसील शहपुरा,
जबलपुर, मध्यप्रदेश।

संयुक्त संचालक (अविज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन भोपाल

क्रमांक/2/अवि./सेल-5/2018/786-0
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03/08/2018

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला - जबलपुर,
मध्यप्रदेश।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण - श्री यश लूकस पुत्र स्व0 मेरी लूकस, स्टॉफ नर्स, सेठ गोविन्द दास चिकित्सालय, जबलपुर, म.प्र.।
संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/स्था.अवि./2018/960 दिनांक 27.01.2018.

-0-

विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र के माध्यम से श्री यश लूकस पुत्र स्व0 मेरी लूकस, स्टॉफ नर्स, सेठ गोविन्द दास चिकित्सालय, जबलपुर, म.प्र. का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण जिले में सहायक ग्रेड-3 का पद रिक्त न होने के कारण संचालनालय में प्राप्त हुआ है, जो मूलतः संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित किया जा रहा है।


आवेदक श्री यश लूकस ने ई-मेल द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर ड्रेसर के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने हेतु आग्रह करते हुए सहमति प्रदान की है।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/सी/3-4/1/3/06 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2008 की कंडिका 5.3 एवं म.प्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 की कंडिका 5.1 एवं 12.1 में प्रावधान है कि, "यदि किसी पद के लिये अनुभव/प्रशिक्षण/निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता हो तो संबंधित आवेदक से सहमति प्राप्त कर उन्हें स्वयं के व्यय पर प्रशिक्षण दिया जावे एवं सफलता पूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने पर उन्हें अनुकम्पा नियुक्ति दी जावेगी।"

अतः श्री यश लूकस को ड्रेसर ग्रेड-2 का निर्धारित तीन माह का प्रशिक्षण जिला चिकित्सालय जबलपुर में दिये जाने बावत् नियमानुसार कार्यवाही 03 दिवस में की जा कर संचालनालय को ई-मेल (nongazatted.mp@mp.gov.in) द्वारा अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। आवेदक द्वारा तीन माह का प्रशिक्षण प्राप्त करने पर नियमानुसार ड्रेसर ग्रेड-2 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जावे। **उल्लेखित प्रकरण के अतिरिक्त किसी भी प्रकरण में किसी भी व्यक्ति को ड्रेसर का प्रशिक्षण संचालनालय की अनुमति के बगैर नहीं दिया जावे।**

"आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित"

संलग्न :- मूल सह पत्र पृ.क्र. 1 से 27 तक


21/8/18
(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक प्रशासन
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक /08/2018

पृ. क्रमांक/2/अवि./सेल-5/2018/

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. कलेक्टर जिला जबलपुर मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर, संभाग जबलपुर, मध्यप्रदेश।
3. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय जबलपुर, म.प्र. की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि श्री यश लूकस को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु ड्रेसर का तीन माह का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कर प्रशिक्षण उपरान्त प्रमाण-पत्र जारी किया जावे। **उल्लेखित प्रकरण के अतिरिक्त किसी भी प्रकरण में किसी भी व्यक्ति को ड्रेसर का प्रशिक्षण संचालनालय की अनुमति के बगैर नहीं दिया जावे।**
4. प्रभारी एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय।
5. श्री यश लूकस पुत्र स्व0 मेरी लूकस, निवासी- पोस्ट आमाहिनौता, भेडाघाट रोड, तहसील मीरगंज, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन भोपाल

क्रमांक/2/अवि./सेल-5/2018/776-0

भोपाल, दिनांक 03/08/2018

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला - कटनी,
मध्यप्रदेश।

- विषय :-** अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण- कुमारी अंजली रवि पुत्री स्व० श्रीमती केतला रवि, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मझगवां, जिला सतना, म.प्र.।
- संदर्भ :-** मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सतना का पत्र क्रमांक 2647 दिनांक 02.04.2018.

—00—


विषयांकित प्रकरण में सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्रीमती केतला रवि, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मझगवां, जिला सतना, म.प्र. की मृत्यु दिनांक 14.11.2017, को हो जाने के कारण उनकी पुत्री कुमारी अंजली रवि का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण जिले में अनुसूचित जाति वर्ग में सहायक ग्रेड-3 का पद रिक्त न होने के कारण संचालनालय में प्राप्त हुआ है, जो मूलतः संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित किया जा रहा है।

कुमारी अंजली रवि के शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों के परीक्षण उपरान्त आवेदिका को नियमानुसार तृतीय श्रेणी पद पर अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होकर सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु योग्य पाया गया। प्राप्त जानकारी अनुसार आपके अधीन अनुसूचित जाति वर्ग में सहायक ग्रेड-3 का पद रिक्त है।

अतः म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 के तहत आवेदिका के आवश्यक दस्तावेजों का अवलोकन/पूर्ति कर सहायक ग्रेड-3 के पद पर नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही 03 दिवस में करना सुनिश्चित करें तथा ई-मेल (nongazatted.mp@mp.gov.in) पर अवगत करावें।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

संलग्न :- मूल सह पत्र पृ.क्र. 1 से 25 तक


24/8/18
(विवेक श्रोत्रिय)


अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/2/अवि./सेल-5/2018/

भोपाल, दिनांक /08/2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. कलेक्टर, जिला सतना मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर, संभाग जबलपुर, मध्यप्रदेश।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सतना, म.प्र.।
4. प्रभारी एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय।
5. कुमारी अंजली रवि पुत्री स्व० श्रीमती केतला रवि, निवासी- किसकुला स्कूल के सामने, महादेवा रोड, पतेरी, जिला सतना, म.प्र.।


अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन भोपाल, म.प्र.

क्रमांक/2/अवि./सेल-5/2018/766-0
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03/08/2018

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला जबलपुर,
मध्यप्रदेश।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण - श्री विकास ठाकुर पुत्र स्व० श्री देवी सिंह ठाकुर, वाहन चालक,
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मण्डला, म.प्र.।

संदर्भ :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मण्डला का पत्र क्रमांक 281 दिनांक 22.01.2018.

-0-


विषयांकित प्रकरण में सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्री विकास ठाकुर पुत्र स्व० श्री देवी सिंह ठाकुर, वाहन चालक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मण्डला, म.प्र. का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण मण्डला जिले में कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि सेवा (नियमित कन्टिजेंसी) के अन्तर्गत चर्तुथ श्रेणी का पद रिक्त न होने के कारण संचालनालय को प्राप्त हुआ है, जो मूलतः संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित किया जा रहा है।

म.प्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 के पालन में संचालनालय स्तर पर प्रकरण का परीक्षण किये जाने पर आवेदक श्री विकास ठाकुर को धारित योग्यतानुसार चर्तुथ श्रेणी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने हेतु योग्य पाया गया है।

अतः श्री विकास ठाकुर को आपके अधीन कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि सेवा (नियमित कन्टिजेंसी) के अंतर्गत चर्तुथ श्रेणी (वार्ड बॉय) के रिक्त पद पर नियमानुसार अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने की कार्यवाही 03 दिवस में की जा कर संचालनालय को ई-मेल (nongazatted.mp@mp.gov.in) द्वारा अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।

संलग्न :- मूल सह पत्र पृ.क्र. 1 से 45 तक


21/8/18

(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक प्रशासन
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/2/अवि./सेल-5/2018/

भोपाल, दिनांक /08/2018

प्रतिलिपि :- (सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु)

1. कलेक्टर जिला मण्डला, मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर, संभाग जबलपुर, म.प्र।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मण्डला, म.प्र.।
4. प्रभारी एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय।
5. श्री विकास ठाकुर पुत्र स्व० श्री देवी सिंह ठाकुर, निवासी- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड, पेट्रोल पम्प के सामने, लालीपुर, मण्डला, म.प्र।

संयुक्त संचालक (अविज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन भोपाल, म.प्र.

क्रमांक/2/अवि./सेल-5/2018/738-0

भोपाल, दिनांक 3/08/2018

प्रति,

2-8-2018

क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें
जबलपुर संभाग जबलपुर, मध्यप्रदेश ।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण- श्री सौरभ चौहटेल पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र कुमार चौहटेल, सहायक ग्रेड-2, कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, कटनी, जिला कटनी, म.प्र.।

संदर्भ :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कटनी का पत्र क्रमांक 1328, दिनांक 21.02.2018.

—00—

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कटनी के सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्री सौरभ चौहटेल पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र कुमार चौहटेल, सहायक ग्रेड-2, कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, कटनी, जिला कटनी, म.प्र. का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण संगणक के पद पर नियुक्ति हेतु संचालनालय को प्रेषित किया गया है, जो मूलतः संलग्न है।

श्री सौरभ चौहटेल के शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आवेदक संगणक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्रता रखता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जबलपुर के अधीन संगणक का पद रिक्त है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि श्री सौरभ चौहटेल पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र कुमार चौहटेल को म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 के तहत संगणक के पद पर नियमानुसार 03 दिवस में अनुकम्पा नियुक्ति की जाकर आपके अधीनस्थ जबलपुर जिले में पदस्थ करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही से संचालनालय को ई-मेल (nongazatted.mp@mp.gov.in) पर सूचित करें।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

संलग्न :- मूल सह पत्र पृ.क्र. 1 से 27 तक



2/8/18

(विवेक श्रोत्रिय)


अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/2/अवि./सेल-5/2018/

भोपाल, दिनांक /08/2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. कलेक्टर, जिला कटनी म.प्र.।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कटनी/जबलपुर म.प्र.।
3. प्रभारी एम.आई.एस (एम.आई.एस) स्थानीय कार्यालय ।
4. श्री सौरभ चौहटेल पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र कुमार चौहटेल, निवासी- म.नं. 1025, बेलबाग थाना, पुलिस क्वार्टर के पीछे, जबलपुर, म.प्र.।


अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/171 - I
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26/02/2018

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला कटनी
मध्यप्रदेश।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण - श्रीमती माया बाई केवट, पति स्व. श्री दादूराम केवट, वार्डवाय, सिविल अस्पताल सीहोरा जिला जबलपुर।

सन्दर्भ :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जबलपुर का पत्र कमांक 437 दि. 07.01.2017।

---000---

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्रीमती माया बाई केवट, पति स्व. श्री दादूराम केवट, वार्डवाय, सिविल अस्पताल सीहोरा जिला जबलपुर का अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन चतुर्थ श्रेणी का पद रिक्त न होने के कारण संचालनालय को प्रेषित किया गया था।

संचालनालय स्तर पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु की गई काउंसिलिंग में आवेदिका श्रीमती माया बाई केवट, पति स्व. श्री दादूराम केवट, उपस्थित नहीं हुई है।

प्रकरण में श्रीमती माया बाई केवट, पति स्व. श्री दादूराम केवट, द्वारा धारित शैक्षणिक अर्हता अनुसार वे वार्डवाय की अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्रता रखती है। उपलब्ध जानकारी अनुसार आपके अधीन वार्डवाय का अन्य पिछड़ा वर्ग का सीधी भर्ती का पद रिक्त है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि श्रीमती माया बाई केवट, पति स्व. श्री दादूराम केवट, को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक/सी/3-4/1/3 /06 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2008 एवं परिपत्र क. सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 के तहत नियमानुसार कार्यवाही कर 03 दिवस में अनुकम्पा नियुक्ति की कार्यवाही की जाकर ई-मेल nongazatted.mp@mp.gov.in पर सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

संलग्न - उपरोक्तानुसार ()



(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.कमांक/अवि./सेल-5/2018/172 - I

भोपाल दिनांक 26/02/2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. कलेक्टर जिला कटनी/जबलपुर मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रिय संचालक स्वास्थ्य सेवाय जबलपुर म.प्र.।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जबलपुर।
4. प्रभारी, एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
5. श्रीमती माया बाई केवट, पति स्व. श्री दादूराम केवट, पता- ग्राम पोस्ट बडवारा जिला कटनी।



अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/167-I
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26/02/2018

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला छिन्दवाडा
मध्यप्रदेश।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण - श्री नरेश कुमार उसराटे, पुत्र स्व. श्री वीरन लाल उसराटे, ड्रेसर ग्रेड-2, जिला चिकित्सालय डिण्डोरी।

सन्दर्भ :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला डिण्डोरी का पत्र कमांक 334 दि. 19.01.2017।

—000—

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्री नरेश कुमार उसराटे, पुत्र स्व. श्री वीरन लाल उसराटे, ड्रेसर ग्रेड-2, जिला चिकित्सालय डिण्डोरी का अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन सहायक ग्रेड-3 का पद रिक्त न होने के कारण संचालनालय को प्रेषित किया गया था।

संचालनालय स्तर पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु की गई काउंसिलिंग में आवेदक श्री नरेश कुमार उसराटे, पुत्र स्व. श्री वीरन लाल उसराटे, द्वारा डार्करूम सहायक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु सहमति प्रदान की गई है।

प्रकरण में श्री नरेश कुमार उसराटे, पुत्र स्व. श्री वीरन लाल उसराटे, द्वारा धारित शैक्षणिक अर्हता अनुसार वे डार्करूम सहायक की अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्रता रखते हैं। उपलब्ध जानकारी अनुसार आपके अधीन डार्करूम सहायक का अन्य पिछडा वर्ग का सीधी भर्ती का पद रिक्त है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि श्री नरेश कुमार उसराटे, पुत्र स्व. श्री वीरन लाल उसराटे, को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक/सी/3-4/1/3/06 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2008 एवं परिपत्र क. सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 के तहत नियमानुसार कार्यवाही कर 03 दिवस में अनुकम्पा नियुक्ति की कार्यवाही की जाकर ई-मेल nongazatted.mp@mp.gov.in पर सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

संलग्न - उपरोक्तानुसार ()


(विवेक श्रोत्रिय)


अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.कमांक/अवि./सेल-5/2018/168-I

भोपाल दिनांक 26/02/2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. कलेक्टर जिला छिन्दवाडा/डिण्डोरी मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रिय संचालक स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर म.प्र.।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला डिण्डोरी।
4. प्रभारी, एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
5. श्री नरेश कुमार उसराटे, पुत्र स्व. श्री वीरन लाल उसराटे, पता- वार्ड नं. 2 सुमखार जिला डिण्डोरी।


अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/165- I
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26/02/2018

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला बालाघाट
मध्यप्रदेश।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण - श्री शिवम चौरसिया, पुत्र स्व. श्रीमती रमा चौरसिया, नर्सिंग सिस्टर, सिविल अस्पताल वारासिवनी जिला बालाघाट।

सन्दर्भ :- आपका पत्र कमांक 6078 दिनांक 22.11.2017।

—000—

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्री शिवम चौरसिया, पुत्र स्व. श्रीमती रमा चौरसिया, नर्सिंग सिस्टर, सिविल अस्पताल वारासिवनी जिला बालाघाट का अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रशिक्षण की अनुमति बावत् संचालनालय को प्रेषित किया गया है।


संचालनालय स्तर पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु की गई काउंसिलिंग में आवेदक श्री शिवम चौरसिया, द्वारा पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु सहमति प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक/सी/3-4/1/3 /06 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2008 की कंडिका 5.3 एवं म.प्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क. सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 की कंडिका 5.1 एवं 12.1 में प्रावधान है कि, यदि किसी पद के लिये अनुभव/प्रशिक्षण/निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता हो तो संबंधित आवेदक से सहमति प्राप्त कर उन्हें स्वयं के व्यय पर प्रशिक्षण दिया जावे एवं सफलता पूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने पर उन्हें अनुकम्पा नियुक्ति दी जावेगी।

अतः श्री शिवम चौरसिया, पुत्र स्व. श्रीमती रमा चौरसिया, को पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रशिक्षण हेतु प्राचार्य बहुध्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र सागर में प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने बावत् नियमानुसार कार्यवाही 03 दिवस में की जाना सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

संलग्न - उपरोक्तानुसार ()



(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.कमांक/अवि./सेल-5/2018/166 - I

भोपाल दिनांक 26/02/2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. कलेक्टर जिला बालाघाट मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रिय संचालक स्वास्थ्य सेवाय जबलपुर/सागर म.प्र.।
3. प्राचार्य बहुध्देशीय पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र सागर म.प्र.।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर।
5. अधीक्षक, सिविल अस्पताल वारासिवनी जिला बालाघाट की और सूचनार्थ।
6. प्रभारी, एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
7. श्री शिवम चौरसिया, पुत्र स्व. श्रीमती रमा चौरसिया, वार्ड न. 6 लालबर्बा रोड वारासिवनी जिला बालाघाट की और सूचनार्थ प्रेषित।



अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/163-I
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26/02/2018

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला बालाघाट
मध्यप्रदेश।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण - श्री रोहित मण्डलेकर, पुत्र स्व. श्री कपूरचंद मण्डलेकर, भृत्य,
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परसवाडा जिला बालाघाट।

सन्दर्भ :- आपका पत्र कमांक 6080 दिनांक 22.01.2017।

—000—

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्री रोहित मण्डलेकर, पुत्र स्व. श्री कपूरचंद मण्डलेकर, भृत्य,
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परसवाडा जिला बालाघाट का अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन संचालनालय को प्रेषित
किया गया था।


संचालनालय स्तर पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु की गई काउंसिलिंग में आवेदक श्री रोहित मण्डलेकर,
द्वारा पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु सहमति प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक/सी/3-4/1/3/06 भोपाल, दिनांक
18 अगस्त 2008 की कंडिका 5.3 एवं म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क.
सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 की कंडिका 5.1 एवं 12.1 में प्रावधान है कि, यदि किसी पद
के लिये अनुभव/प्रशिक्षण/निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता हो तो संबंधित आवेदक से सहमति
प्राप्त कर उन्हें स्वयं के व्यय पर प्रशिक्षण दिया जावे एवं सफलता पूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने पर उन्हें
अनुकम्पा नियुक्ति दी जावेगी।

अतः श्री रोहित मण्डलेकर, पुत्र स्व. श्री कपूरचंद मण्डलेकर, को पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रशिक्षण
हेतु प्राचार्य बहुधदेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र सागर में प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने बावत् नियमानुसार
कार्यवाही 03 दिवस में की जाना सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत
करावे।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

संलग्न - उपरोक्तानुसार ()



(विवेक श्रोत्रिय)


अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.कमांक/अवि./सेल-5/2018/164-I

भोपाल दिनांक 26/02/2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. कलेक्टर जिला बालाघाट मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रिय संचालक स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर/सागर म.प्र.।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर।
4. प्राचार्य बहुधदेशीय पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र सागर म.प्र.।
5. प्रभारी, एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
6. श्री रोहित मण्डलेकर, पुत्र स्व. श्री कपूरचंद मण्डलेकर, पता- ग्राम पोण्डी पोस्ट लिंगा तहसील
परसवाडा जिला बालाघाट।



अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/161-I
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26/02/2018

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला छिन्दवाडा
मध्यप्रदेश।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण - श्री दुर्गेश नागरे, पुत्र स्व. श्री पंजाबराव नागरे, सुपरवाईजर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिछुआ जिला छिन्दवाडा।

सन्दर्भ :- आपका पत्र कमांक 10004 दिनांक 04.09.2017।

—000—

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्री दुर्गेश नागरे, पुत्र स्व. श्री पंजाबराव नागरे, सुपरवाईजर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिछुआ जिला छिन्दवाडा का अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन संचालनालय को प्रेषित किया गया था।


संचालनालय स्तर पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु की गई काउंसिलिंग में आवेदक श्री दुर्गेश नागरे, पुत्र स्व. श्री पंजाबराव नागरे, द्वारा पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु सहमति प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक/सी/3-4/1/3/06 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2008 की कंडिका 5.3 एवं म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क. सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 की कंडिका 5.1 एवं 12.1 में प्रावधान है कि, यदि किसी पद के लिये अनुभव/प्रशिक्षण/निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता हो तो संबंधित आवेदक से सहमति प्राप्त कर उन्हें स्वयं के व्यय पर प्रशिक्षण दिया जावे एवं सफलता पूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने पर उन्हें अनुकम्पा नियुक्ति दी जावेगी।

अतः श्री दुर्गेश नागरे, पुत्र स्व. श्री पंजाबराव नागरे, को पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रशिक्षण हेतु प्राचार्य बहुध्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र सागर में प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने बावत् नियमानुसार कार्यवाही 03 दिवस में की जाना सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

संलग्न - उपरोक्तानुसार ()



(विवेक श्रोत्रिय)


अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक 26/02/2018

पृ.कमांक/अवि./सेल-5/2018/162-I

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. कलेक्टर जिला छिन्दवाडा मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रिय संचालक स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर/सागर म.प्र.।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर।
4. प्राचार्य बहुध्देशीय पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र सागर म.प्र.।
5. प्रभारी, एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
6. श्री दुर्गेश नागरे, पुत्र स्व. श्री पंजाबराव नागरे, पता- वार्ड नं. 15 शांति नगर बिछुआ पो. तह. बिछुआ जिला छिन्दवाडा।



अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/159- I
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26/ 02/ 2018

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला सिवनी
मध्यप्रदेश।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण - श्री कैलाश चौरसिया, पुत्र स्व. श्री दोलतराम चौरसिया, सहायक ग्रेड-2, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिवनी।

सन्दर्भ :- आपका पत्र कमांक 2496 दिनांक 07.04.2017।

—000—

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्री कैलाश चौरसिया, पुत्र स्व. श्री दोलतराम चौरसिया, सहायक ग्रेड-2, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिवनी का अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन सहायक ग्रेड-3 का पद रिक्त न होने के कारण संचालनालय को प्रेषित किया गया था।


संचालनालय स्तर पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु की गई काउंसिलिंग में आवेदक श्री कैलाश चौरसिया, पुत्र स्व. श्री दोलतराम चौरसिया, द्वारा पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु सहमति प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक/सी/3-4/1/3 /06 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2008 की कंडिका 5.3 एवं म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क. सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 की कंडिका 5.1 एवं 12.1 में प्रावधान है कि, यदि किसी पद के लिये अनुभव/प्रशिक्षण/निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता हो तो संबंधित आवेदक से सहमति प्राप्त कर उन्हें स्वयं के व्यय पर प्रशिक्षण दिया जावे एवं सफलता पूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने पर उन्हें अनुकम्पा नियुक्ति दी जावेगी।

अतः श्री कैलाश चौरसिया, पुत्र स्व. श्री दोलतराम चौरसिया, को पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रशिक्षण हेतु प्राचार्य बहुधदेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र सागर में प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने बावत् नियमानुसार कार्यवाही 03 दिवस में की जाना सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

संलग्न - उपरोक्तानुसार ()



(दिवेक श्रोत्रिय)


अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.कमांक/अवि./सेल-5/2018/160- I

भोपाल दिनांक 26/02/2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. कलेक्टर जिला सिवनी मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर/सागर म.प्र.।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर।
4. प्राचार्य बहुधदेशीय पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र सागर म.प्र.।
5. प्रभारी, एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
6. श्री कैलाश चौरसिया, पुत्र स्व. श्री दोलतराम चौरसिया, पता - कबीर वार्ड, डूंडा सिवनी जिला सिवनी की और सूचनार्थ प्रेषित।


अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/157- I
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26 / 02 / 2018

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला सिवनी
मध्यप्रदेश।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण - श्री विवेक डोगरे, पुत्र स्व. श्री रमेश डोंगरे, बहुउद्देशीय पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरघाट जिला सिवनी।

सन्दर्भ :- आपका पत्र कमांक 8937 दिनांक 27.11.2017।

—000—

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्री विवेक डोगरे, पुत्र स्व. श्री रमेश डोंगरे, बहुउद्देशीय पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरघाट जिला सिवनी का अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन संचालनालय को प्रेषित किया गया था।


संचालनालय स्तर पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु की गई काउंसिलिंग में आवेदक श्री विवेक डोगरे, पुत्र स्व. श्री रमेश डोंगरे, द्वारा पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु सहमति प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक/सी/3-4/1/3 /06 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2008 की कंडिका 5.3 एवं म.प्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क. सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 की कंडिका 5.1 एवं 12.1 में प्रावधान है कि, यदि किसी पद के लिये अनुभव/प्रशिक्षण/निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता हो तो संबंधित आवेदक से सहमति प्राप्त कर उन्हें स्वयं के व्यय पर प्रशिक्षण दिया जावे एवं सफलता पूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने पर उन्हें अनुकम्पा नियुक्ति दी जावेगी।

अतः श्री विवेक डोगरे, पुत्र स्व. श्री रमेश डोंगरे, को पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रशिक्षण हेतु प्राचार्य बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र सागर में प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने बावत् नियमानुसार कार्यवाही 03 दिवस में की जाना सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

संलग्न - उपरोक्तानुसार ()



(विवेक श्रोत्रिय)


अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक 26/02 / 2018

पृ.कमांक/अवि./सेल-5/2018/158 - I

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. कलेक्टर जिला सिवनी मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर/सागर म.प्र.।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर।
4. प्राचार्य बहुउद्देशीय पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र सागर म.प्र.।
5. प्रभारी, एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
6. श्री विवेक डोगरे, पुत्र स्व. श्री रमेश डोंगरे, पता- वार्ड नं. 11 बरघाट जिला सिवनी।



अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/155-I

भोपाल, दिनांक 26 / 02 / 2018

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-सिवनी, मध्यप्रदेश ।

विषय:- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण - श्रीमती ममता घोरमारे पत्नि स्व.डॉ.मायाकिशोर घोरमारे चिकित्सा
अधिकारी, म.प्र. ।

सन्दर्भ:- कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बालाघाट का पत्र क्र./अनु.नि./2012
/1650 बालाघाट, दिनांक 31/03/2012 ।

—000—


सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्रीमती ममता घोरमारे पत्नि स्व.डॉ.मायाकिशोर घोरमारे सामु.स्वास्थ्य
केन्द्र किरनापुर जिला बालाघाट का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण बालाघाट जिले में रोस्टर अनुसार तृतीय
श्रेणी के पद रिक्त नहीं होने से संचालनालय में प्राप्त हुआ है जो मूलतः संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित
किया जा रहा है ।

श्रीमती ममता घोरमारे के शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आवेदक को नियमानुसार
तृतीय श्रेणी पद पर अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होकर सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु योग्य पाया गया ।
आपके अधीन अनुसूचित जन जाति वर्ग में सहायक ग्रेड-3 का एक पद रिक्त है ।

अंतः म.प्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.
2014 के तहत आवेदिका को सहायक ग्रेड-3 के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाकर संचालनालय को डाक
एवं ई-मेल (nongazatted.mp@mp.gov.in) द्वारा समय सीमा में अवगत करावें ।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

संलग्न:- मूल सह पत्र ।


(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/156-I

भोपाल, दिनांक 26 / 02 / 2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. कलेक्टर जिला बालाघाट म.प्र. ।
2. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर संभाग जबलपुर म.प्र. ।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला- बालाघाट म.प्र. ।
4. श्रीमती ममता घोरमारे पत्नि स्व.डॉ.मायाकिशोर घोरमारे पता- वार्ड न.02 भट्टरे चौकी पम्प हाउस
गली रोड बालाघाट, म.प्र. ।
5. प्रभारी एम.आई.एस स्थानीय कार्यालय ।



अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन भोपाल, म.प्र.

कमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/153-I

भोपाल, दिनांक 26/02/2018

प्रति,

क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें
जबलपुर संभाग जबलपुर, मध्यप्रदेश ।

विषय:- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण-श्री देवेन्द्र कुमार दुबे पिता स्व. श्री राम कुमार दुबे वार्डबाय जिला चिकित्सालय सिवनी ।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क./अवि/ 2017/9562 जबलपुर, दिनांक 07.10.2017 ।

—00—

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी के माध्यम से श्री देवेन्द्र कुमार दुबे पिता स्व. श्री राम कुमार दुबे वार्डबाय जिला चिकित्सालय सिवनी का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण जिले में पद रिक्त नहीं होने से अन्य जिले में नियुक्ति हेतु संचालनालय में प्राप्त हुआ था जो मूलतः संगणक के पद पर नियुक्ति हेतु आपकी ओर प्रेषित किया गया था ।


आपके द्वारा प्रकरण आवश्यक कार्यवाही/ उचित निर्देश हेतु बिना कार्यवाही/परीक्षण के संचालनालय में वापस प्रेषित किया गया है जिससे उच्च स्तर पर प्रकरण को गंभीरता से परीक्षण किया गया ।

आपके द्वारा संबंधित को दिनांक 29.11.1980 द्वारा सेवामुक्त किये जाने एवं आवेदक श्री देवेन्द्र कुमार दुबे पर आ.प्र.क. 461/16 दर्ज होने का लेख किया है जबकि जिला चयन समिति के आदेश क.2578 दिनांक 27.02.1991 द्वारा श्री रामकुमार दुबे को वार्डबाय के पद पर नियमित किया गया एवं मान.न्यायालय जिला सिवनी के आदेश दिनांक 06 जनवरी 2017 द्वारा श्री देवेन्द्र दुबे को अपराध प्रकरण कमांक 461/16 में दोषमुक्त किया गया है ।

अतः उच्च स्तर पर प्रकरण में संबंधित को संगणक के पद पर नियुक्ति हेतु योग्य पाया गया । प्रकरण पुनः आपकी ओर संलग्न प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि म.प्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क. सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 के तहत आवेदक को संगणक के पद नियुक्ति प्रदान कर 03 दिवस में संचालनालय को डाक एवं ई-मेल (nongazatted.mp@mp.gov.in) द्वारा समय सीमा में अवगत करावें ।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।



(विवेक श्रोत्रीय)

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/154-I

भोपाल, दिनांक 26/02/2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. कलेक्टर सिवनी मध्यप्रदेश ।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी म.प्र. ।
2. श्री देवेन्द्र कुमार दुबे पिता स्व. श्री राम कुमार दुबे वार्डबाय जिला चिकित्सालय सिवनी म.प्र. ।



अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/151- I

भोपाल, दिनांक 26/02/2018

प्रति,

क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें
जबलपुर संभाग
मध्यप्रदेश।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण - श्री नितेश राठौर पिता स्व. श्री कामता प्रसाद राठौर, कम्पाउण्डर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुण्डम जिला जबलपुर।

सन्दर्भ:- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जबलपुर का पत्र कमांक 6373 दिनांक 24.06.2014।

—000—

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्री नितेश राठौर पिता स्व. श्री कामता प्रसाद राठौर, कम्पाउण्डर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुण्डम जिला जबलपुर का अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन सहायक ग्रेड-3 के पद रिक्त न होने के कारण संचालनालय को प्रेषित किया गया था।


संचालनालय स्तर पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु की गई काउंसिलिंग में श्री नितेश राठौर पिता स्व. श्री कामता प्रसाद राठौर, द्वारा संगणक के पद हेतु सहमति प्रदान की गई है।

प्रकरण में श्री नितेश राठौर पिता स्व. श्री कामता प्रसाद राठौर, द्वारा धारित शैक्षणिक अर्हता अनुसार वे संगणक की अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्रता रखते हैं। उपलब्ध जानकारी अनुसार आपके अधीनस्थ संभागीय स्तर पर संधारित रोस्टर अनुसार संगणक का अन्य पिछडा वर्ग में सीधी भर्ती का पद रिक्त है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि श्री नितेश राठौर पिता स्व. श्री कामता प्रसाद राठौर, को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक/सी/3-4/1/3 /06 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2008 एवं परिपत्र क. सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 के तहत नियमानुसार 03 दिवस में अनुकम्पा नियुक्ति की जाकर आपके अधीनस्थ जबलपुर जिले में पदस्थ करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। तथा की गई कार्यवाही से ई-मेल nongazatted.mp@mp.gov.in पर सूचित करें।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

संलग्न - उपरोक्तानुसार ()


(विवेक श्रोत्रिय)


अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक 26/02/2018

पृ.कमांक/अवि./सेल-5/2018/152-I

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. कलेक्टर जिला जबलपुर म.प्र.।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर म.प्र.।
3. प्रभारी एम.आई.एस (एम.आई.एस) स्थानीय कार्यालय।
4. श्री नितेश राठौर पिता स्व. श्री कामता प्रसाद राठौर, पता- 478 झण्डा चौक कुण्डम जिला जबलपुर।


अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/149-1
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26/02/2018

क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें
जबलपुर संभाग
मध्यप्रदेश।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण - श्री मधुर कपूर पिता स्व. श्री राजन कपूर, सेक्टर सुपरवाईजर उप स्वास्थ्य केन्द्र खुरपा जिला नरसिंहपुर।

सन्दर्भ:- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नरसिंहपुर का पत्र कमांक 10944 दिनांक 20.11.2017।

—000—

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्री मधुर कपूर पिता स्व. श्री राजन कपूर, सेक्टर सुपरवाईजर उप स्वास्थ्य केन्द्र खुरपा जिला नरसिंहपुर का अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन सहायक ग्रेड-3 के पद रिक्त न होने के कारण संचालनालय को प्रेषित किया गया था।

संचालनालय स्तर पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु की गई काउंसिलिंग में श्री मधुर कपूर पिता स्व. श्री राजन कपूर, द्वारा संगणक के पद हेतु सहमति प्रदान की गई है।

प्रकरण मे श्री मधुर कपूर पिता स्व. श्री राजन कपूर, द्वारा धारित शैक्षणिक अर्हता अनुसार वे संगणक की अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्रता रखते है। उपलब्ध जानकारी अनुसार आपके अधीनस्थ संभागीय स्तर पर संधारित रोस्टर अनुसार संगणक का अनारक्षित वर्ग में सीधी भर्ती का पद रिक्त है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि श्री मधुर कपूर पिता स्व. श्री राजन कपूर, को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक/सी/3-4/1/3/06 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2008 एवं परिपत्र क. सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 के तहत नियमानुसार 03 दिवस में अनुकम्पा नियुक्ति की जाकर आपके अधीनस्थ जबलपुर जिले में पदस्थ करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। तथा की गई कार्यवाही से ई-मेल nongazatted.mp@mp.gov.in पर सूचित करें।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

संलग्न - उपरोक्तानुसार ()

(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.कमांक/अवि./सेल-5/2018/150-1
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

भोपाल दिनांक 26/02/2018

1. कलेक्टर जिला नरसिंहपुर म.प्र.।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंहपुर म.प्र.।
3. प्रभारी एम.आई.एस (एम.आई.एस) स्थानीय कार्यालय।
4. श्री मधुर कपूर पिता स्व. श्री राजन कपूर, पता- एल.आई.जी 25 हाउसिंग बोर्ड कालोनी शंकराचार्य वार्ड नरसिंहपुर म.प्र.।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/147-I
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26/02/2018

क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर
मध्यप्रदेश।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण - श्री संजय बर्मन, पुत्र स्व. श्री नन्दकिसोर बर्मन, सुपरवाईजर,
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निवास जिला मण्डला।

सन्दर्भ :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मण्डला का पत्र क्रमांक 3952 दि. 21.08.2017।

-----000-----

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्री संजय बर्मन, पुत्र स्व. श्री नन्दकिसोर बर्मन, सुपरवाईजर,
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निवास जिला मण्डला का अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन चतुर्थ श्रेणी का पद रिक्त न
होने के कारण संचालनालय को प्रेषित किया गया था।

संचालनालय स्तर पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु की गई काउंसिलिंग में श्री संजय बर्मन, पुत्र स्व. श्री
नन्दकिसोर बर्मन, द्वारा मृत्यु के पद हेतु सहमति प्रदान की गई है।

प्रकरण में श्री संजय बर्मन, पुत्र स्व. श्री नन्दकिसोर बर्मन, द्वारा धारित शैक्षणिक अर्हता अनुसार वे मृत्यु
की अनुकंपा नियुक्ति हेतु पात्रता रखते हैं। उपलब्ध जानकारी अनुसार आपके अधीन मृत्यु का अन्य पिछडा
वर्ग का सीधी भर्ती का पद रिक्त है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि श्री संजय बर्मन, पुत्र स्व. श्री नन्दकिसोर बर्मन, को
मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/सी/3-4/1/3 /06 भोपाल, दिनांक 18
अगस्त 2008 एवं परिपत्र क्र. सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 के तहत नियमानुसार कार्यवाही
कर 03 दिवस में अनुकंपा नियुक्ति की कार्यवाही की जाकर ई-मेल nongazatted.mp@mp.gov.in पर
सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

संलग्न - उपरोक्तानुसार ()



(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/अवि./सेल-5/2018/148-I

भोपाल दिनांक 26/02/2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. कलेक्टर जिला मण्डला/जबलपुर मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर म.प्र.।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मण्डला।
4. प्रभारी, एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
5. श्री संजय बर्मन, पुत्र स्व. श्री नन्दकिसोर बर्मन, पता- वार्ड क्रमांक 6, पुरानी बस्ती, अम्बेडकर नगर
निवास जिला मण्डला।



अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश